

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 338*
(21 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

*338. डॉ. अमर सिंह:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए गत वर्ष की तुलना में धनराशि का कम आबंटन किए जाने के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों का खाता एक ऋणात्मक खाता हो गया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा कामगारों को किए जाने वाले भुगतान में होने वाले विलंब की समस्या का समाधान करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को समाज के एक ऐसे वर्ग हेतु किसी योजना के लिए एक अत्यधिक डिजिटलीकृत इकोसिस्टम के उपयोग में कोई फायदा नजर आता है जिसे ऐसे प्लेटफार्मों की जानकारी ही न हो, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए इसका संचालन कठिन हो जाता है और यदि हां, तो ऐसे मुद्दों का समाधान करने हेतु क्या तंत्र विद्यमान है; और
- (ग) पंजाब राज्य को आबंटित मनरेगा धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 21.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 338* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत वित्तीय आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान स्तर के 61,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 73,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हाल ही में, अंतरिम उपाय के रूप में महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि आवंटित की गई है। इसके अलावा, संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर मांग के आकलन के आधार पर आवंटन किया जा सकता है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) को 2011-12 में शुरू किया गया था, जबकि इसकी उत्तरवर्ती प्रणाली राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस) की शुरूआत 2015-16 में की गई थी। इसमें अब देश की 2.69 लाख ग्राम पंचायतें शामिल हैं। यद्यपि नरेगासॉफ्ट को 2006 में लॉन्च किया गया था परंतु इसका अंतरण आधारित संस्करण 2012-13 से संचालित है। इस प्रकार, ये सॉफ्टवेयर लंबे समय से प्रचलन में हैं और इनके संचालन स्थायी हो गए हैं।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (पंजाब सहित) को कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता है। विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंजाब राज्य को जारी की गई केंद्रीय निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (दिनांक 15.12.2021 की स्थिति के अनुसार)
जारी की गई केंद्रीय निधियां (रु. करोड़ में)	598.55	776.89	1287.86	970.91

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जिलों को निधियां जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।